

FROM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Bhilwara

No- F39-7(1)()RA/2018/ 2176

Dated- 06/06/2018
03/07/2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.28 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department, Circle Bhilwara for construction of road at S.H.-29 to village Lorda (villeg-Banka, Lorda) in Bijoliya Sub-Divisional issued by FRA certificate letter dated 02/08/2016.

Now Executive Engineer PWD PMGSY WB Div. Shahpura, Bhilwara requested vide their letter dated 07/06/2018 that diversion of forest land is required 2.76 hectares instead of 3.28 hectares.

So through an Amendment in FRA certificate No F39-7(1)()RA/2014/3995 dated 02/08/2016, it is certified that 2.76 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department, Circle Bhilwara for construction of road at S.H.-29 to village Lorda in Bijoliya Sub-Divisional.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.28 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee, Gram Sabha, Sub-division Level Committee and the District Level Committee (enclosed as annexure -1 to annexure - 4), further Executive Engineer PWD PMGSY WB Div. Shahpura, Bhilwara requested vide their letter dated 07/06/2018 that diversion of forest land is required 2.76 hectares instead of 3.28 hectares.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabha has given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above

(Shuchi Tyagi)
District Collector, Bhilwara

अधिशायी अभियन्ता
सा. नि. वि.
पी.एम.जी.एस.वाई. वर्ल्ड बैंक
खण्ड - शाहपुरा (भीलवाड़ा)
डी.डी.ओ. कोड नं. 32401

(एच. एस. हापावत)
उप वन संरक्षक
भीलवाड़ा

40/c

✓

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक/जनअधिनियम/बैठक/2018-17/12358

दिनांक-28/7/18

बैठक कार्यवाही वितरण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मन्वता) वन अधिकार अधिनियम 2008 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड विज्ञापितों के से ग्राम ग्राम छतरीखेडा बाया मानगड एवं एनएच. 29 से जोड़ता सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि जिसके प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन कर प्रति उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया ने इस कार्यालय को प्रेषित की है जिसके के डाईवर्जन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2008 नियम 2008 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति बिजौलिया के दिनांक 18.5.18 को हुवे विचार विमर्श उपरान्त शर्द सगति से अभिधाषा का प्रस्ताव फार्म 2 में जिला स्तरीय समिति को भिजवाया गया जिसके आधार पर एनओसी जारी करने बाबत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को बैठक जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 26.7.2018 को प्रायकाल 5:00 बजे जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) सभागार में जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्य एवं अधिकारीगण उपस्थित हुवे :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा - सदस्य सचिव
2. वन वन संरक्षक भीलवाड़ा - सदस्य
3. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा
4. अधिसापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड - शाहपुर

बैठक में उपखण्ड स्तर की रिपोर्ट दिनांक 18.5.2018 के अनुसार उपखण्ड के अधीन तहसील बिजौलिया के ग्राम छतरीखेडा बाया मानगड एवं एनएच 29 से जोड़ता सड़क निर्माण में आने वाली भूमि वन भूमि है जिसके प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन कर प्रति उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया ने इस कार्यालय को प्रेषित की है जिसके के डाईवर्जन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2008 नियम 2008 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (जिला कलक्टर, भीलवाड़ा)
अधिसापी अभियन्ता
 सा. नि. वि.
 पी.एम.जी.एस.वार्ड, शाहपुर
 खण्ड - शाहपुर

वन क्षेत्र में कोई मात्र कार्यकार नहीं है। अतः जिला स्तरीय बैठक में उपखण्ड बिलौलिया के ग्राम छतरीखेड़ा बाया मानगड एवं एनएच. 28 से लोडदा सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि तहसील क्षेत्र बिलौलिया में ग्राम फूलन की आ0न0 17 रकबा 185.19 में से 9-04 बीघा, ग्राम मानगड की आ0न0 10 रकबा 711-15 बीघा में से 8-17 बीघा आ0न0 157 रकबा 131-05 बीघा में से 3-04 बीघा ग्राम परिवाल की आ0 न0 63 रकबा 927-05 में से 9-15 बीघा, ग्राम छतरीखेड़ा की आ0न0 50 रकबा 27-04 में से 1-13 बीघा व आ0 नं0 51 रकबा 42-04 में से 1-07 बीघा तथा ग्राम बाका की आ0न0 529 रकबा 1630-10 बीघा में से 12-08 बीघा ग्राम लोडदा की आ0न0 540 रकबा 350-00 बीघा में से 0-19 बीघा व आ0 नं0 741 रकबा 651-30 बीघा में से 6-19 बीघा भूमि पर सड़क निर्माण में वन क्षेत्र के लिए जगजगीय शानुही एवं परम्परागत वन निवासियों के दावों के अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समाधान कर दिया गया है/हो गया है।

अतः में बैठक सफलतापूर्वक समाप्त की गई।

[Signature]
 सहाय सचिव,
 जिला स्तरीय समिति
 (वन अधिकार अधिनियम)
 भीलवाड़ा

प्रतिलिपि—निम्नलिखित सूचनाएँ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. मुख्य कार्यवाही अधिकारी जिला परिषद, भीलवाड़ा
2. ग्रामीण अधिकारी वन अधिनियम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा
4. उपा वन सहायक भीलवाड़ा
5. उपखण्ड अधिकारी *[Signature]*

[Signature]
 सहाय सचिव,
 जिला स्तरीय समिति
 (वन अधिका अधिनियम)
 भीलवाड़ा

[Signature]
 (आलोक कुमार, शर्मा)
 अधिशाही अभियन्ता
 सा. नि. वि.
 पी.एम.जी.एस.वार्ड, वल्लभ बैंक
 खण्ड - शाहपुर (भीलवाड़ा)
 डी.डी.ओ. कोड नं. 32401

38/C

Section	Kar
DM	
Date	19/05/16
To	कार्यालय सपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला भीलवाडा
From	श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा
Subject	श्रीमान बा पत्रांक एक38-7(1)आरए/14/2847 दिनांक 26.05.2015

राजस्थान-सरकार

कार्यालय सपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला भीलवाडा

दिनांक 16.05.2016

श्रीमान-जिला कलेक्टर महोदय,
भीलवाडा

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत।


प्रसंग:- श्रीमान बा पत्रांक एक38-7(1)आरए/14/2847 दिनांक 26.05.2015


दयाजी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि श्रीमान के आदेशानुसार तहसीलदार विजौलियां से प्रस्ताव लिया गया। तहसीलदार विजौलियां के द्वारा बाद जांच प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विजौलियां से छत्तरीखेड़ा चाया सानखड़ एवं एनएच 29 से लोड़दा सड़क निर्माण में वन भूमि अवाप्त होनी है। जिसका नूतन प्रस्ताव निम्नानुसार है।

अतः तहसील क्षेत्र विजौलियां में ग्राम फूलन की आराजी नं. 17 रकबा 185.19 मे से 9.04 बीघा, ग्राम गड़ की आराजी नं. 10 रकबा 711.15 मे से 8.17 बीघा आराजी नं. 157 रकबा 131.05 बीघा मे से 3.04 ग्राम पटिंगल की आराजी नं 63 रकबा 927.05 मे से 9.15 बीघा ग्राम छत्तरीखेड़ा की आराजी नं. 50 रकबा 4 बीघा मे से 1.13 बीघा व आराजी नं 51 रकबा 42.04 मे से 1.07 बीघा तथा ग्राम बांका की आराजी नं. रकबा 1830.10 बीघा मे से 12.08 बीघा, ग्राम लोड़दा की आराजी नं. 840 रकबा 350.00 बीघा मे से 0.19 व आराजी नं 741 रकबा 651.00 बीघा मे से 6.19 बीघा कुल किलो 09 रकबा 54.06 बीघा नूनि सड़क में वन भूमि आ रही है उस वन भूमि के व्यर्पतन का प्रस्ताव ग्रामस्था से अनुमोदन करा प्रस्ताव मूल ही पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

म :- उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव


(आलोक जैन)
सपखण्ड अधिकारी
विजौलियां


(आलोक कुमार शर्मा)
अधिकांशी अभियन्ता
सा. नि. वि.
पी.एम.जी.एस.आई. वर्ल्ड बैंक
खण्ड - अ...
डी.डी.ओ. फाइल नं. 32401

34/C

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार विजौलिया जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/राजस्थान/2016/106-

दिनांक-28/01/2016

प्रेषित :-

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

विजौलिया

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन अन्तर्गत प्रमाण - पत्र भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के पत्रांक : एक 39-7 (1) जारए /14/2847 दिनांक 28.03.2015 एवं श्रीमान् के पत्रांक : वन अधिकार/2015/2027-28 दिनांक 02.12.2015 के सन्दर्भ में।

aw
28/1/16
महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रारम्भिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि तहसील क्षेत्र विजौलिया में विजौलिया खुर्द से छतरीखेड़ा बाबा मानगढ एवं एस.एच. 29 से लोडदा सड़क निर्माण में वन भूमि अवाप्त होनी है जिसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः तहसील क्षेत्र विजौलिया में ग्राम फुलन की आराजी नं. 17 रकबा 185.19 मे से 9.04 बीघा, ग्राम मानगढ की आराजी नं. 10 रकबा 711.15 मे से 8.17 बीघा आराजी नं.157 रकबा 131.05 बीघा मेसे 3.04 बीघा, ग्राम पटियाल की आराजी नं. 63 रकबा 927.05 मे से 9.15 बीघा ग्राम छतरीखेड़ा की आराजी नं. 50 रकबा 47.04 बीघा मे से 1.13 बीघा व आराजी नं. 51 रकबा 42.04 मे से 1.07 बीघा तथा ग्राम बांका की आराजी नं. 529 रकबा 1830.10 बीघा मे से 12.08 बीघा, ग्राम लोडदा की आराजी नं. 540 रकबा 350.00 बीघा मेसे 0.19 बीघा व आराजी नं. 741 रकबा 651.00 बीघा मेसे 8.19 बीघा कुल किलो 09 रकबा 54.00 बीघा भूमि सड़क निर्माण में वन भूमि आ रही है उस वन भूमि के व्यर्पन का प्रस्ताव ग्रामजनों से अनुमोदन करके प्रस्ताव मूल डी श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

तहसीलदार विजौलिया


प्रतिलिपी:-

01. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा की सेवामें सूचनार्थ सादर प्रेषित है
02. श्रीमान् अधिष्ठाण अभियन्ता सा.नि.वि वृत्त भीलवाड़ा की सेवामें सूचनार्थ प्रेषित है
03. श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि., पीएनजीएसआई(वर्ल्ड बैंक) खण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा) की सेवामें सूचनार्थ प्रेषित है।


तहसीलदार विजौलिया


(शालोक कुमार शर्मा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. वि.
पी.एम.जी.एस.आई. वर्ल्ड बैंक
खण्ड - शाहपुरा (भीलवाड़ा)
डी.डी.ओ. कोड नं. 32411


ग्राम पंचायत भोपतपुरा तहसील बिजौलिया- जिला भीलवाड़ा



आज दिनांक 21/12/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में जाने वाली सड़क एस.एच.-29 से लोरवा जो वन क्षेत्र से गुजर रही है। इसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि में सड़क एस.एच.-29 से लोरवा के निर्माण हेतु प्रस्ताव लिखा गया तथा सर्व सहमती से सड़क निर्माण की आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी रावस्था को वन क्षेत्र में सड़क निर्माण करने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर क्रमांक 14 दिनांक 12/12/15 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक रावस्था की उपस्थिति में दल कराई गई।


सरपंच
ग्राम पंचायत-भोपतपुरा
तहसील-बिजौलिया
जिला-भीलवाड़ा


ग्राम सचिव एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत भोपतपुरा


(आलोक कुमार शर्मा)
अधिसाक्षी अभियन्ता
सा. नि. वि.
पी.एम.जी.एस.वाई. वर्ल्ड बैंक
ग्राम सभा भोपतपुरा (भीलवाड़ा)
32401

आज दिनांक 12.2.2015 को आमंत्रित सदस्यों
 का आयोजन कार्यक्रम 30 व 50 भागसंगठन के
 पत्रांक 2015/9982 दिनांक 12/2/15 के द्वारा
 किया गया जिसका अनुभव अत्यंत सफल
 रूप में रहा है।

1. ग्राम समिति के सचिव अनुसूचित वर्ग निवासिनी
1. शांति सिंह बंगारा सरसिका
2. गोपाल चौधरी का. व. सं.
3. सुप्रभाकर सिंह साहू पटेल विहार
4. नरेश माल चौधरी LDC
5. जयदीप चौधरी

सामाजिक उत्थान समिति के सदस्य

- | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|
| (1) लाल सहाय चौधरी | श्री कृष्ण चौधरी | Sankumar |
| (2) अफ सहाय | शिवलाल कुंवर | शिवलाल |
| (3) - | राम प्रसाद बेग | Ram Prasad |
| (4) - | गोविंद चौधरी | गोविंद |
| (5) - | लाल लाल चौधरी | लाल लाल चौधरी |
| (6) - | कृष्ण गोपाल चौधरी | कृष्ण गोपाल |

अधिकांश अभियंता
 सा. नि. वि.
 जी.एस.आई. वर्ल्ड बैंक
 गांधीपुरा (भीलवाड़ा)
 पिन नं. 32401

ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत धोपतपुरा
 पं. म. विजोलिया

सचिव
 धाम पंचायत-भापतपुरा,
 पं. म. विजोलिया

पं. एस. हापावत
 उप वन संरक्षक
 भीलवाड़ा

उत्तम समाय IAY (मय) PPT 5 व अनादि

संशोधन/सूचकांक 2011-12 2012-13 2013-14


न 2014-15 कुल 164 विपरीत 15000 मु.114


राज्य स पुर्ण दृष्टि यार्ड आवाही का सर्व सम्पत्ति

1 अनुसूचित विपरीत राज्य न अनुसूचित आवाही के लिए
 पुर्ण अर्थ है सम्पत्ति विपरीत राज्य
 वर्ष 2011-12 39 मय 10 IAY PPT 4

2012-13	36	13	
2013-14	31	18	13
2014-15	-	4	-

1 उपरोक्त हेतु अर्थात् मुख्य राजस्व PPT मा 501, 0100
 20000 व 529, 540, 541, 741, 665 को सुधार
 सम्पत्ति सारक के लिए को देता है व
 धारितार के वरन विपरीत राज्य है इस पर
 उत्तम समा के विपरीत पर इस पर यह
 आपत्ति विपरीत को नही है 2400 है PPT 10
 पारित विपरीत राज्य।


 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत भांयतपुरा
 चं. स. विजोलियां


 संपन्न
 ग्राम पंचायत भांयतपुरा
 चं. स. विजोलियां

रामचन्द्र

रामचन्द्र

अधिकाारी अभियन्ता
 सा. नि. वि.
 श्री एम.जी.एस.वाइ.वर्ल्ड बैंक
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)
 मो.नं. 32401

एच. एस. हापावत
 उप वन संरक्षक
 भीलवाड़ा

